

न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

मु.नं. 16/2019

निर्णय दिनांक 20.11.2019

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का सतासर तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर

प्रार्थी

वनाम

जयनारायण पुत्र बख्ताराम जाति सुनार साकिन सतासर तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर

अप्रार्थी

अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22

-निर्णय-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सतासर ने रिपोर्ट मय प्रपत्र पी. 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी जयनारायण पुत्र बख्ताराम जाति सुनार साकिन सतासर तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर ने सतासर के खसरा नम्बर 350/4 में 70.00 बीघा बजड अराजीराज भूमि पर कृषि सम्वत 2076 फसल खरीफ में म अतिक्रमण कर प्यार का फसल काश्त कर ली है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को दिनांक 20.11.2019 को अपना पक्ष/जवाब प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तागिल होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली दिनांक 20.11.2019 को पेशी में ली गई। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाबमय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानों के तहत कोई व्यक्ति उपनिवेशन क्षेत्र में बिना किसी विधिक अधिकार के किसी भूमि पर काबिज होने अथवा लगातार काबिज रहने की स्थिति में अतिक्रमी माना जावेगा तथा उसे इस धारा के प्रावधानों के तहत तहसीलदार द्वारा बेदखल किया जावेगा। ऐसा अतिक्रमी 50 गुना लगान की शरित तक दण्ड का भागी व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की दशा में 3 माह के सिविल कारावास का भागी होगा।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाकर भू-राजस्व का 50 गुना 700/-अक्षरे सात सौ रूपये शरित आरोपित कर बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। भूअ.निरीक्षक सतासर को आदेशित किया जाता है कि मौके पर खडी फसल को कुर्क कर, कुर्कशुदा फसल को निलाम कर निलागी की कार्यवाही कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करे। बाद अनुमोदन निलामी राशि राजकोष में जमा करावे।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को वसूली एवं मौके से बेदखली/कब्जा भूमि बहक सरकार लेने बाबत बाबत लिखा जावे। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(गजेन्द्र सिंह नैण)
तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)
तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)